

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांक 1324 /29-1-(1) देहरादून, दिनांक 02 मई 2023.

सेवा में,

G20

1. समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वन संरक्षक/निदेशक उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक।

विषय:- मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित अवमानना वाद संख्या- 594-595/2020 उत्तरांचल वन श्रमिक संघ, व अन्य बनाम ओम प्रकाश व अन्य एवं अवमानना वाद संख्या-849- 850/2021 पृथ्वी सिंह राण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड फॉरेस्ट डेली वेजेज वर्कस एसोसिएशन बनाम एस0एस0 संघू व अन्य के संबंध में।

सन्दर्भ:- सचिव, वित्त(वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7, उत्तराखण्ड, शासन की पत्र सं0-1/118139/2023 दिनांक 28.04.2023(प्रति संलग्न)।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र की प्रति संलग्नकर आपके अवलोकनार्थ इस आशय से प्रेषित की जा रही है, कि मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित अवमाननावाद संख्या- 594-595/2020 उत्तरांचल वन श्रमिक संघ, रानीबग व अन्य बनाम ओम प्रकाश व अन्य एवं अवमाननावाद संख्या- 849-850/2021 पृथ्वी सिंह राणा, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड फॉरेस्ट डेली वेजेज वर्कस एसोसिएशन बनाम एस0एस0संघू व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 19.07.2022 के क्रम में शासन द्वारा निम्नवत् प्रारूप पर सूचना शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करायी जानी है।

अतः निम्न निधारित प्रपत्र पर वॉछित सूचना 4 दिन के आन्दर ई-मेल/लौटती डाक से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने कष्ट करें। प्रकरण महत्वपूर्ण है अनुस्मारक की प्रतिकक्षा न करें।

क्र0 सं0	प्रभाग का नाम	विभाग में दैनिक श्रमिक का प्रचलित पदनाम	दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की संख्या	मासिक आधार पर				अभियुक्ति
				वेतन	मंहगाई भत्ता(यदि भुगतान किया जा रहा हो तो)	मजदूरी	वरिवर्तनीय मंहगाई भत्ता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

Hand 02/05/23
(निशान्त वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक,

पत्रांक 1324 /29-1-(1) दिनांकित।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप सचिव, वन अनुभाग-1, उत्तराखण्ड, शासन।
2. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण देहरादून को इस आशय से प्रेषित की पत्र को विभागीय बेवसाइड में अपलोड करवाने का कष्ट करे।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

Hand 02/05/23
(निशान्त वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक,

डा. अ. अ. ए.
वन को सहायता
देकर अपलोड
करे।

02/05/2023

1/118139/2023

1/118139/2023

उत्तराखण्ड शासन

वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7

देहरादून दिनांक : 28 अप्रैल, 2023

समस्त अपर मुख्य सचिव,
प्रमुख सचिव, सचिव, सचिव(प्रभारी)
उत्तराखण्ड शासन।

वन विभाग से सम्बन्धित अवमानना वाद संख्या-594-595/2020 एवं सहबद्ध अवमानना वाद संख्या-849-859/2021 में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2022 को पारित निर्णय के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक में यह संज्ञान में आया है कि राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रामिकों को विभिन्न प्रकार से मजदूरी/वेतन यथा दैनिक मजदूरी/श्रम विभाग की दर पर दैनिक मजदूरी/वेतनमान का न्यूनतम वेतन/राजकीय कार्मिकों की भांति मंहगाई भत्ता/श्रम विभाग द्वारा परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता इत्यादि का भुगतान किया जा रहा है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार निम्नवत् प्रारूप पर सूचना वित्त(वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

क्र० सं०	विभाग का नाम	विभाग में दैनिक श्रमिक का प्रचलित पदनाम	दैनिक वेतन भोगी श्रामिकों की संख्या	मासिक आधार पर				अभियुक्ति
				वेतन	मंहगाई भत्ता(यदि भुगतान किया जा रहा हो तो)	मजदूरी	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 28-04-2023 15:10:44

(दिलीप जावलकर)
सचिव।